भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3750
17 मार्च, 2020 को उत्तर देने के लिए

एफपीआई के प्रोत्साहन हेतु निधि

3750. श्री कुनार हेम्ब्रम:
श्री जुगल किशोर शर्मा:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है;
(ख) क्या सरकार जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल में मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए कोई योजना बना रही है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण के संर्वधन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए **प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना**- (पीएमकेएसवाई) की अपनी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं करता है । पीएमकेएसवाई की घटक स्कीमें अर्थात (i) मेगा फूड पार्क; (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना; (iii) कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना; (iv) बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज सृजन; (v) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार**;** (vi) खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना; (vii) मानव संसाधन एवं संस्थान और (viii) ऑपरेशन ग्रीन्स मांग प्रेरित हैं । पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के प्रत्युत्तर में जम्मू एवं कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के पात्र आवेदकों जैसे कि किसानों, उद्यमियों, संगठनों जैसे कि केंद्र एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संयुक्त उपक्रमों/कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओज)/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओज)/सहकारिताओं/एसएचजीच/सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है। पिछले दो वर्षों के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में कुल 64.51 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता से 18 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को और पश्चिम बंगाल में 33.70 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता से इस प्रकार की 5 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है ।

(ख)से(ड.): पीएमकेएसवाई की मेगा फूड पार्क स्कीम (एमएफपी) के अंतर्गत प्रत्येक को 50 करोड़ रूपए के अनुमोदित अनुदान से जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले में एक परियोजना को और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक परियोजना को स्वीकृति दी गई है ।

******